उ0प्र0 शासन
लोक निर्माण अनु0-5
संख्या :-124/2021/886/23-5-21-15(भवन)/2020
लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 2021

शुद्धि - पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में राजभवन परिसर के कुल 06 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 160.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश सं0-110/2021/273आ0/23-5-21-15(भवन)/2020, दिनांक 01.10.2021 निर्गत किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2021 की सूची के क्रमांक-6 पर अंकित "राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत प्रथम तल पर कार्यालयों कक्षों निर्माण आन्तरिक एवं वाहय प्लास्टर एवं पेन्टिंग के कार्य" हेतु स्तम्भ-5 में आवंटित धनराशि रू0 43.96 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 4.96 लाख टंकित हो गया है।

3- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2021 के क्रमांक-6 पर अंकित "राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत प्रथम तल पर कार्यालयों कक्षों निर्माण आन्तरिक एवं वाहय प्लास्टर एवं पेन्टिंग के कार्य" हेतु स्तम्भ-5 में आवंटित **धनराशि रू0 4.96 लाख के स्थान पर रू0 43.96 लाख** पढ़ा जाय।

विषयगत शासनादेश दिनांक 01.10.2021 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

संलग्नक - यथोपरि।

महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :-124/2021/886(1)/23-5-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री जी, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त/30वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
13- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in